कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक संख्या 5293 / 12-1 दिनांक, 28/2 , 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय – जनपद–ऊधमसिंह नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–74 के किमी0 239 (सिरसामोड) कैंप से शक्ति फार्म तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 14.856 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/26820/2017)

संदर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र), सुभाष रोड, देहरादून का पत्रांक 8बी./यू0सी0पी0/06/125/2018/एफ0सी0/2179 दिनांक 15.02.2019।

महोदय,

उपरोक्त संन्दर्भित पत्र के क्रम में उक्त प्रकरण में लगायी गयी आपत्ति के सम्बन्ध में आख्या निम्नानुसार प्रेषित है –

1- State Government vide order No. 185/XVIII(3)/2018-02(72)/2017 dated 05th April, 2018 (Annexure-1) has transferred 24.042 ha. waste land in khasra no. 370 in favour of forest department. It is a non forest land.

2- The land transferred in favour of forest department is 24.042 ha. Since equivalent non forest land is required for CA as per MOEFCC guidelines no. F.No. 11-306/2014-FC dated 8th Aug. 2014, thus in lieu of land transfer of 14.856 ha. forest land the user agency is expected to deposit CA amount for 15 ha. (equivalent to 14.856 ha.). The excess land which is 9.042 ha. may be planted through some other scheme or through some other land fransfer proposal.

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक 5293/ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर।

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–3

संख्याः 185/XVIII(3)/2018-02(72)/2017

देहरादूनः दिनांकः 05 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117(6) एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अध्याय–3 की धारा 4(7) के प्राविधानों के अनुसार निहित वन अधिकार, सभी विल्लंगमों और प्रकिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से मुक्त रुप में प्रदत्त करते हुये जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के अधीन अनापत्ति इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट के सिवाय वन भूमि में अपयोजन के लिये 'शुद्ध वर्तमान मूल्य' और प्रतिकरात्मक वन रोपण का संदाय करने की अपेक्षा सम्मिलित है, जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–74 के 239 कि0मी0 (सिरसामोड़) कैम्प रोड़ से शक्तिफार्म तक मोटर मार्ग निर्माण के फलस्वरुप क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जनपद हरिद्वार के ग्राम दूधला दयालवाला, परगना नजीबाबाद में खसरा संख्या 370 क्षेत्रफल 24.042 हैक्टेअर बंजर भूमि का जनहित में विकास कार्यों के लिये पुनर्ग्रहण कर वन विभाग के पक्ष में हस्तानान्तरण करने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. राज्यपाल, यह भी निर्देश देते हैं कि क्षतिपूर्ति एवं प्रतिकर की समस्त धनराशि का भुगतान याचक विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) द्वारा किया जायेगा।

12-1
9190
31/5/18

हरबंस सिंह चुघ
प्रभारी सचिव।

संख्याः 185/XVIII(3)/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एन0एच0ए0आई0–5 एवं 6, सेक्टर–10, द्वारिका, नई दिल्ली–110075

2– आयुक्त, कुमाऊँ / गढ़वाल, नैनीताल / पौड़ी।

3– जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर / हरिद्वार।

4– क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य अभियन्ता एवं क्षेत्रीय कार्यालय–देहरादून, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार 46 / 1, कैनाल रोड़, जाखन, देहरादून–248001

5– प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।

6– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, हरिद्वार।

7– वरिष्ठ निजी सचिव–अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

8– मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

9– विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।